यह निरीक्षण प्रतिवेदन, सचिव उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की (हरिद्वार) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सचिव उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की (हरिद्वार), के अवधि 02/2016 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय त्यागी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री डी॰के॰ मट्टू सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 27-7-2018 से 03-08-2018 तक श्री राम सनेही लेखापरीक्षा अधिकरी के पर्यवेक्षण मे सम्पन्न की गई थी |

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आर॰के॰जोगी एवं श्री संतोष कुमार गुप्ता सहा॰ लेखापरीक्षा अधिकारी,द्वारा दिनांक 01--02-2016 से 06--02-2016 तक श्री रणवीर सिंह वरि॰ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 07/2009 से 01/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2016 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः संस्थान सचिव उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद का कार्यालय सुनेहरारोड काशीपुर रूड्की (हरिद्वार) मे स्थित है जिसकी दूरी बस स्टेशन से लगभग 5-6 किलोमीटर एव रेलवे स्टेशन से दूरी 03 किलोमीटर है तथा मुख्यमार्ग देहारादून रोड से 500 मी अन्दर स्थित है| सचिव उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद का मुख्य कार्य प्रदेश की समस्त राजकीय ,महिला ग्रामीण ,सहायता प्राप्त एव निजी क्षेत्र की पॉलीटेक्निक संस्थाओ के छात्र /छात्राओ को डिप्लोमा पाठ्यक्रमो की परीक्षा कराना है|

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु मे)

वित्तीय वर्ष	**स्थापना**			**गैर स्थापना**			**आधि.**	**बचत**
	प्रा. शे.	**आवंटन**	**व्यय**	**प्रा.शे.**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	-	13459000.00	13459000.00	-	50915000.00	50914672.00		328
2016-17	-	23945000.00	14730422.00	-	66000000.00	65994800.00		9219778
2017-18	-	18018000 .00	17104126.00	-	41000000.00	40818025.00		1095849
2018-19	-	20190000 .00	5009326 .00	-	1000000.00	158000.00		16022674

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं (CDTP) के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष		प्राप्त धनराशि				
	प्रा॰ शेष	आवंटन	ब्याज आदि प्राप्तियाँ	योग	व्यय	बचत
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017 -18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19 व्यय 06/18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iii) इकाई को बजट आंवटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्ययको सम्मिलित न न करते हुए इकाई "ब" श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव

↓

संयुक्त सचिव

↓

उप सचिव

↓

सहायक सचिव

↓

वित्त अधिकारी

↓

कार्यालय अधीक्षक़

(IV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय सचिव उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की (हरिद्वार) की लेन देन को आच्छादित किया गया है। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण सचिव उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद,रूड़की(हरिद्वार) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 08/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तो) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी

भाग-दो(ब)

प्रस्तर:-1- ब्याज की धनराशि ₹ 2802977/- शासकीय खाते मे जमा न किया जाना |

कार्यालय सचिव उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के लेखा अभिलेखो की जांच मे पाया कि विभाग द्वारा निम्न बैंको मे सचिव उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के नाम बचत खाते का संचालन किया जा रहा है जिसमे वर्ष 2016-17 से 2017-18 के दौरान धनराशि ₹ ₹ 2802977/- ब्याज के रूप मे अर्जित किया है जिसे लेखा परीक्षा अवधि तक नियमानुसार मुख्य लेखा शीर्ष 0049(ब्याज प्राप्तिया)-04-190 मे जमा नहीं किया| जिसका विवरण निम्न है |

क॰स	बैंक का नाम	खाता स॰	दिनांक	धनराशि
1-	पी॰एन॰बी	1175000110184685	02-12-17	399608
2-	-do-	1175000110184685	03-06-18	313558
3-	-do-	1175000110184685	05-03-16	406707
4-	-do-	1175000110184685	03-06-17	242332
5-	-do-	1175000110184685	02-09-17	335550
6-	आई॰ डी .बी॰आई बैंक	1767104000022057	18-3-17 से 25-3-17	13151
7-	-do-	1767104000022057	26-3-17 से 24-6-17	293829
8-	-do-	1767104000022057	25-6-17 से 23-9-17	202513
9-	-do-	1767104000022057	24-9-17 से 23-12-17	153962
10-	-do-	1767104000022057	24-12-17 से 24-3-17	5789
11-	-do-	1767104000022057	25-3-18 से 23-6-18	435978
			कुल योग	**2802977/-**

इस प्रकार विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 से 2017-18 के दौरान धनराशि ₹ 2802977/- ब्याज के रूप मे अर्जित किया है जिसे नियमानुसार शासकीय खाते मे जमा किया जाना था जो लेखा परीक्षा अवधि तक नहीं किया गया| संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया की दो खाते IDBI BANK & PNB BANK मे जमा ब्याज की धनराशि के बारे मे शासन से पत्राचार कर दिशा-निर्देश प्राप्त होगे तदनुसार कार्यवाही की जाएगी| विभाग द्वारा दिया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा प्राप्त ब्याज की धनराशि कों न तो शासकीए खाते मे जमा किया और न ही शासन के संज्ञान मे लाया गया |

अत: ब्याज़ की धनराशि ₹ 2802977/- शासकीय खाते मे जमा न किए जाने प्रकरण उच्च अधिकारियो के संज्ञान मे लाया जाता है |

STAN

प्रस्तर:- 1. धनराशि रु 7.93 लाख का कर्मचारियो के एन.पी.एस. खाते में जमा न किया जाना ।

कार्यालय सचिव उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा रूडकी के लेखा अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा निम्नलिखित कर्मचारी/अधिकारी के एन.पी.एस. खाते में सरकार का अंश रु 10% जो वर्ष 2017-18 से लेखापरीक्षा अवधि तक कुल धनराशि रु 7,93,949-00 नही जमा किया गया हैं।

Si.no	Name	Period	Amount
01	Virender Aagri	02/16 to06/18	81799-00
02	Bhavna joshi	-	81826-00
03	Roshini nath	-	40631-00
04	Gotam kumar	-	41792-00
05	Ranjit singh	-	84288-00
06	Vinod kumar	-	43433-00
07	Manju nath	-	41792-00
08	Sohni lal	-	43433-00
09	Babita notiyal	-	84288-00
10	Sandeep kumar	-	81858-00
11	Vinay chandola	-	41792-00
12	Gyaneshwar rawat	-	41792-00
13	Sameesh kumar	-	41792-00
14	Ram singh	-	43433-00
Total			793949-00

इस प्रकार विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 से 06/2018 तक उपरोक्त कर्मचारियों के एन.पी.एस.खाते में कुल धनराशि रु 7.93 लाख जमा नही किया गया है। सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि शासन से अभी तक कोई आदेश प्राप्त नही हुआ हैं। पूर्व में IPAO कोषागार द्वारा से दिया जाता था। अतः भविष्य के लिए नोट किया गया, विभाग द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नही हैं नियोक्ता (Employer) सरकार के अंशदान की राशि का सत्यापन नियोक्ता राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एजेंसी के संबंधित खाते से किया जाना वांछित है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर:-2- इकाई द्वारा शासन के आदेश पर बिना किसी नियम व प्राविधान के ₹ 22,20000.00 की धनराशि को एक संस्था से दूसरी संस्था मे हस्तगत करने एवं संप्रेक्षा तिथि (08/18) तक धनराशि का समायोजन न करने के सम्बंध में ।

प्राचार्य, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून द्वारा प्रेषित अपने कार्यालय के पत्रांक – रा0दू0मे0का0/वाहन/2016/816 दिनाक-04/03/2016 के संदर्भ मे सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद, रुड़की (हरिद्वार) के कार्यालय आदेश/पत्रांक -4148/विविध/उ0प्रा0शि0प0/2015-16/ दिनाक : 11/03/16 द्वारा प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा उत्तराखंड शासन देहरादून से प्राप्त की गयी स्वीकृति के पश्चात 42 Seated ए0सी0 बस के क्रय हेतु प्राचार्य, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून के Favour मे सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद, रुड़की(हरिद्वार) द्वारा पत्रांक -8620/ उ0प्रा0शि0प0/2015-16 दिनाक-11/03/16 के माध्यम से ₹ 22,20000.00 की धनराशि चेक संख्या-001503 दिनाक-11/03/2016 को हस्तगत की थी। आगे सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि उक्त धनराशि इकाई द्वारा प्राचार्य, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून के favour मे न तो अग्रिम के तौर पर,न ही अनुदान के तौर पर दी गयी थी। सम्प्रेक्षा द्वारा जांच मे यह भी पाया गया कि उक्त धनराशि का शासन द्वारा प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा उत्तराखंड शासन देहरादून के बजट मे से धनराशि को कम करके प्राचार्य, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून के बजट मे धनराशि को पुर्नविनियोजन (Reappropration) कर जोड़ा नहीं गया था, शासन द्वारा बिना किसी नियम/प्राविधान के उक्त धनराशि को हस्तगत करने के आदेश दिनाक- 11/03/16 को इकाई को दिये गए थे।

कार्यालय सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद, रुड़की (हरिद्वार) के लेखा अभिलेखों के नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभाग को सम्प्रेक्षा तिथि(08/2018) तक भी उक्त धनराशि का समायोजन प्राप्त नहीं हो पाया था। सम्प्रेक्षा द्वारा जांच मे इकाई से पूछने पर कि एक संस्था से दूसरी संस्था को धनराशि हस्तगत करने हेतु कोई शासन द्वारा प्रविधान किया गया था, इस सम्बंध मे संस्था द्वारा अपने उत्तर मे सम्प्रेक्षा को अवगत कराया गया हैं कि इकाई के पास धनराशि हस्तगत करने हेतु कोई आदेश शासन/निदेशालय से प्राप्त नहीं हैं। सम्प्रेक्षा द्वारा जांच मे यह भी पाया गया कि उक्त प्रकरण को इकाई द्वारा एक संस्था से दूसरी संस्था को धनराशि हस्तगत करने हेतु परिषद के द्वारा आयोजित Board of Directors की मीटिंग मे नहीं उठाया था, न इस सम्बंध मे कोई प्रस्ताव पारित किया गया था ।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद के शासी निकाय की आगामी बैठक मे उक्त कार्य का कर्योत्तर अनुमोदन ले लिया जाएगा। विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि बिना किसी नियम व प्राविधान के ₹ 22,20000.00 की धनराशि जो संस्था तथा सरकार द्वारा अपने संसाधनो से अर्जित की गयी थी, कार्यालय के आदेश से दूसरी संस्था को हस्तगत कर दी गयी थी।

प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर:3- इकाई द्वारा कार्यदायी संस्था को ₹ 66.72 लाख की धनराशि अवमुक्त करने के बाबजूद सम्प्रेक्षा तिथि (08/2018) तक मात्र 95% भौतिक प्रगति प्राप्त करना एवं ₹ 21.94 लाख का उपियोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना।

सचिव उत्तराखंड शासन के पत्रांक सख्या-2151/XLI-1/2017-47/17 दिनाक-06/12/2017 द्वारा कार्यालय. सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद,रुड़की (हरिद्वार) -को आइ0आर0डी0टी0 ऑडिटोरियम,सर्वे चौक, देहरादून मे नवनिर्मित dinning हाल के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि र 74.64 लाख के सापेक्ष र 66.72 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी ।

इकाई को र 66.72 लाख के सापेक्ष मात्र ₹ 44.78 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र भी सम्प्रेक्षा तिथि (08/2018) तक प्रस्तुत किया गया था परन्तु ₹ 21.94 लाख की धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र सम्प्रेक्षा तिथि (08/2018) तक लम्बित था।

इस और लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, इकाई द्वारा सम्प्रेक्षा को अवगत कराया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रेषित कर दी जाएगी।

प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हें ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षाटिप्पणी
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
कोई प्रस्तर अनिस्तारित नहीं				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--------------------शून्य--------------------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने शून्य तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित **अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	दिनांक
1	श्री दुर्गा दत्त पांडे	सचिव	07-01-2004 से 31-05-2010 तक
2	डॉ मुकेश पाण्डेय	सचिव	01-06-2010 से 28-09-2011 तक
3	श्री हरी सिंह,	सचिव	28-09-2011 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय सचिव उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.